राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)]() ने राजस्थान में केंद्रपोषित [जल जीवन मिशन योजना]() घोटाला मामले में [प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)]() दर्ज की है।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों के अनुसार, जयपुर स्थित ठेकेदारों ने राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से निविदाएँ प्राप्त करने के लिये कथित तौर पर **इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON)** द्वारा जारी फर्ज़ी समापन प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया।
- अगस्त 2023 में दर्ज आठ महीने से लंबित प्रारंभिक जाँच के निष्कर्ष के बाद CBI द्वारा कार्रवाई की गई।

[//]()

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI)

- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) **भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी** है।

- यह **केंद्रीय सतर्कता आयोग** और **लोकपाल** को सहायता प्रदान करता है।
- यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग [जो प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office-PMO) के अंतर्गत आता है] के अधीक्षण में कार्य करता है।
  - हालाँकि **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) के पास है।
- यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो **इंटरपोल** की ओर से इसके सदस्य देशों में अन्वेषण संबंधी समन्वय करती है।
- इसकी अपराध सिद्धि दर (Conviction Rate) 65 से 70% तक है, अतः इसकी तुलना विश्व की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण एजेंसियों से की जा सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report- FIR

- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) **एक लिखित दस्तावेज़** है जो पुलिस द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उसे **किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना** प्राप्त होती है।
- यह एक सूचना रिपोर्ट है जो समय पर सबसे पहले पुलिस तक पहुँचती है, इसीलिये इसे **प्रथम सूचना रिपोर्ट** कहा जाता है।
- यह आमतौर पर एक **संज्ञेय अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा** पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत होती है। कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक या लिखित रूप में दे सकता है।
- FIR शब्द **भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973** या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं है।
- हालाँकि पुलिस नियमों या कानूनों में **CrPC की धारा 154 के तहत** दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के रूप में जाना जाता है।
- FIR के **तीन महत्त्वपूर्ण तत्त्व** हैं:
  - जानकारी एक **संज्ञेय अपराध से संबंधित** होनी चाहिये।
  - यह सुचना लिखित या **मौखिक रूप में थाने के प्रमुख को** दी जानी चाहिये।
  - इसे **मुखबिर द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये** और इसके **प्रमुख बिंदुओं** को **दैनिक डायरी में दर्ज** किया जाना चाहिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jal-jeevan-mission-scam-in-rajasthan